न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 48 / 2015

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पोखीदेवी बेवा अम्बाराम 2. गोपालसिंह पुत्र अम्बाराम 3. ईश्वरसिंह पुत्र अम्बाराम 4. लेहरीदेवी पत्नी गंगाराम 5. जीवराज पुत्र गंगाराम 6. अमृत पुत्र गंगाराम 7. धनराज पुत्र गंगाराम जातिगण राजपुरोहित निवासीगण बागरा तहसील जालोर		1. राजस्थान राज्य जरिए जिला कलक्टर, जालोर 2. तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री भवानीसिंह सान्दू, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट्स की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 14/8/2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 07 / 2012 पोखीदेवी वगैरा बनाम राज्य सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बागरा के गत खसरा नम्बर 1057 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1127, 1128, 1129, 1130 व 1131 कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 0.9800 हैक्टयर बने है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पुश्तैनी कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर पूर्व में अपीलाण्ट के दादा रावता का कब्जा काश्त था, उसके बाद अपीलाण्ट के पति / पिता का कब्जा काश्त था। प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व ही अपीलाण्ट्स के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि पर बेरा खुदवाया एवं बंधवाया था तथा रहवास के लिए मकान भी बनवाया था। तब से अपीलाण्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस भूमि पर पुराना कब्जा होने के कारण तहसीलदार द्वारा नियमन की सिफारिश भी की गई,

किन्तु नियमन नहीं किया गया। उक्त भूमि की किस्म आगोर नहीं होने के बावजूद प्रथम सेटलमेन्ट के वक्त उक्त भूमि कि किस्म आगोर दर्ज कर दी गई, जो सेटलमेन्ट अधिकारों के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। उक्त भूमि पर पुराना कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपीलाण्ट उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार हो चुके है। इस अनुरूप खातेदारी अधिकार प्रदान कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए समस्त तनकीयात अपीलाण्ट के विरूद्ध विनिश्चित करते हुए जैर अपील निर्णय के जरिये अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नियमन की सिफारिश किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा काश्त था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नहीं मानते हुए विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि पर स्वयं का प्रतिकूल कब्जा होना बताते हुए खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा था। जैर अपील वादस्थ भूमि कि किस्म आगोर है, जो राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान करने से प्रतिबन्धित है। इसके अतिरिक्त जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज होकर सरकारी भूमि है। अपीलाण्ट का तथाकथित कब्जा मात्र अतिक्रमण है, जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया जाता है तथा आदेश बेदखली पारित किए जाते है। इस कारण अपीलाण्ट किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिए अपीलाण्ट का वाद खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर वादी वाद प्रस्तुत कर ग्राम बागरा के गत खसरा नम्बर 1057 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1127, 1128, 1129, 1130 व 1131 कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 0.9800 हैक्टयर की भूमि की प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया तथा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में अनुतोष सहित कुल 4 तनकीयात कायम की। अपीलाण्ट द्वारा उक्त तनकीयात को अपने पक्ष में साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श–42 पेश किए तथा मुख्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परीक्षण में स्वयं पोखीदेवी, गवाह जीवराज, गवाह जेठमल एवं गवाह भंवरलाल परीक्षित हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहान् द्वारा दर्ज करवाए गए बयानों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए तंनकीवार विनिश्चय अंकित करते हुए ज़ैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार क़ी विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसके अतिरिक्त जैर अपील वादस्थ भूमि की किस्म आगोर है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन नियमन तथा खातेदारी अधिकार प्रदान करने से प्रतिबन्धित है। इंसके अतिरिक्त अपीलाण्ट के वाद का मुख्य आधार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाना था। अब प्रकरण में यह विधिक प्रश्न उद्‌भूत होता है कि क्या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष दिया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 721 जगदीश व अन्य बनाम सीताराम व अन्य में यह प्रतिपादित किया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 – धारा 232 – परिसीमा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 64 व 65, रेफरेन्स– खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रदान किये जा सकते हैं – काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मामलों में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं – प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते – नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 (एच.सी.) सिविल पेज 32 स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम मुकेश कुमार व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " प्रतिकूल कब्जा –विधि सुधार– प्रतिकूल कब्जे की विधि पर नया दृष्टिकोण अपनाये जाने की अत्यावश्यकता की दृष्टि से संसद या तो इस विधि को समाप्त कर दे अथवा इसमें संशोधन करें। तथ्यों के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के दावे को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना मान्य रहा।" इसी प्रकार आर0जे0टी0 2011 (1) पेज 468 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " प्रतिकूल कब्जा – केवल कब्जा कितना ही लम्बा हो, का तात्पर्य नहीं है कि वास्तविक मालिक के यह प्रतिकूल है – कब्जा प्रतिकूल एवं विवृत हेना चाहिये। प्रकूिल कब्जा साबित करने में अपीलाण्ट असफल रहा। न तो आशमित विक्रय पत्र, न विक्रय करार रेकॉर्ड पर पेश किया। प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वत्व साबित नहीं किया।" इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0एल0सी0 2009 (1) पेज 69 में प्रतिकूल कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्धारित किया कि "प्रतिकूल कब्जे की विधि का दोष–प्रतिकूल कब्जे का न अभिवचन और न उसकी साक्ष्य–ऐसी परिस्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर डिक्री त्रुटीपूर्ण–प्रतिकूल कब्जे की विधि बेईमानी का पुरस्कार है।" उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण है। उपरोक्त अवधारणाओं को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 07/2012 पोखीदेवी वगैरा बनाम राज्य सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 25.06.2015 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर